राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2211/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जीवराम जाट ग्राम प0 आगूचा] प0 समिती हुरडा भीलवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक कृषि विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री ओम प्रकाश, सहायक निदेशक कृषि विभाग उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 08-04-2017 के द्वारा आगुचा ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में कृषि व कृषि उत्पादन विषय प्रगति की विगत 15 वर्षों की सूचना 7 बिन्दुओं की चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 11-05-2017 से उपलब्ध करादी गई थी तथा अपीलोत्तर के साथ पुनः सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-04-2018 से प्रेषित की गई है। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि इसी सूचना के बाबत अपीलार्थी की आयोग में पूर्व में द्वितीय अपील संख्या 12013/2017 पेश हुई थी जो खारिज की जा चुकी है। आयोग के पत्र दिनांक 13-04-2018 से निर्णय प्राप्त हुआ था। जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 13-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ सूचना के 5 पृष्ठ संलग्न किये है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त